

## दूरसंचार (महत्त्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना) नियम, 2024

[स्रोत: हदुस्तान टाइम्स](#)

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में [दूरसंचार अधिनियम, 2023](#) के अंतर्गत दूरसंचार (महत्त्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना) नियम, 2024 जारी किये गए।

- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर उनके संभावित प्रभाव के आधार पर महत्त्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना (CTI) के रूप में नामांकित दूरसंचार नेटवर्क को वनियमित करना है।
- एक अन्य घटनाक्रम में, दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी नलिंबन) नियम, 2024, दूरसंचार नलिंबन नियम, 2017 के स्थान पर प्रभावी हो गए।

### दूरसंचार (CTI) नियम, 2024 के प्रावधान क्या हैं?

- डेटा और नेटवर्क पहुँच: जिन दूरसंचार संस्थाओं के नेटवर्क को CTI के रूप में नामांकित किया गया है, उन्हें परमाणु CTI भागों के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा का नरिीक्षण करने के लिये सरकार द्वारा अधिकृत करमयिों को पहुँच प्रदान करनी होगी।
- नरिीक्षण और रपिीरटगि: नियमों के अनुसार कार्यान्वयन की नगिरानी के लिये एकमुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी (CTSO) की नयुक्ति आवश्यक है।
  - संस्थाओं को साइबर सुरक्षा घटनाओं की रपिीरट 6 घंटे के भीतर देनी होगी।
- आवश्यक दस्तावेज़: दूरसंचार इकाई को सरकार को CTI नेटवर्क विवरण, अधिकृत कारमकि, हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर सूची, संकट प्रबंधन योजनाएँ, सुरक्षा ऑडिट, अनुपालन रपिीरट और सेवा स्तर समझौते (SLA) उपलब्ध कराने होंगे।
- संचालन और अद्यतन: भारत के बाहर से CTI की दूरस्थ मरममत या रखरखाव के लिये पूर्व लिखित सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
  - सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के अद्यतन के लिये, संस्थाओं को सरकारी समीक्षा हेतु परीक्षण रपिीरट प्रस्तुत करनी होगी।
- सरकारी मानक: सभी CTI हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पुर्जों को सरकारी मानकों का अनुपालन करना होगा, जिसमें आवश्यक, इंटरफेस और सुरक्षा आश्वासन आवश्यकताएँ और अन्य अधिसूचित मानक शामिल हैं।

### दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी नलिंबन) नियम, 2024 क्या हैं?

- अनविार्य प्रकाशन: इंटरनेट शटडाउन सहित दूरसंचार सेवाओं को नलिंबित करने वाले सभी आदेशों को विशिष्ट कारणों, भौगोलिक क्षेत्र और अवधिके साथ प्रकाशित किया जाना चाहिये।
  - नलिंबन अवधि 15 दिन से अधिक नहीं हो सकती।
- सकषम प्राधिकारी: नलिंबन आदेश केवल "सकषम प्राधिकारी" द्वारा जारी किया जा सकता है, जो केंद्र सरकार के लिये केंद्रीय गृह सचिव और राज्यों के लिये राज्य गृह सचिव है।
- समीक्षा तंत्र: आदेश जारी होने के 5 दिनों के भीतर इसकी वैधता की समीक्षा के लिये समीक्षा समिति की बैठक आवश्यक है।
  - केंद्रीय समीक्षा समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं, जबकि राज्य समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करते हैं।
- नोडल अधिकारी: लाइसेंस प्राप्त सेवा प्रदाताओं को नलिंबन आदेश प्राप्त करने और उन्हें लागू करने के लिये प्रत्येक सेवा क्षेत्र में एक नोडल अधिकारी नयुक्त करना होगा।
- सुरक्षित संचार: केवल पुलिस अधीक्षक या उससे उच्च स्तर के अधिकारी ही इन आदेशों को लिखित रूप में या सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संप्रेषित कर सकते हैं।

नोट: 2020 में, उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इंटरनेट के उपयोग पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध अस्थायी, सीमित, वैध, आवश्यक और आनुपातिक होने चाहिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

??????????:

प्रश्न. भारत में 'पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर' पदबंध कसिके प्रसंग में प्रयुक्त कयिा जाता है? (2020)

- (a) डजिटल सुरकषा आधारभूत संरचना
- (b) खादय सुरकषा अवसंरचना
- (c) स्वासथय देखभाल और शकषिा आधारभूत संरचना
- (d) दूरसंचार और परविहन आधारभूत संरचना

उत्तर: A

प्रश्न. भारत में नमिनलखिति में से कौन दूरसंचार, बीमा, बजिली आदिक्षेत्रों में स्वतंत्र नयिामकों की समीकषा करता है? (2019)

- 1. संसद द्वाारा गठति तदर्थ समतियिँ
- 2. संसदीय वभिाग से संबंधति स्थायी समतियिँ
- 3. वत्ति आयोग
- 4. वत्तिलीय क्षेत्र वधिायी सुधार आयोग
- 5. नीतआयोग

नीचे दयिे गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयिे:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1, 3 और 4
- (c) केवल 3, 4 और 5
- (d) केवल 2 और 5

उत्तर: a

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/telecommunications-critical-telecommunication-infrastructure-rules,-2024>

